



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3570]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941

No. 3570]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3962 (अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों का दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों और जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961 (1961 का 15), जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) द्वारा निरसन से पूर्व था, के उपबंधों के अधीन आने वाले स्थापनों पर 1 जनवरी, 2020 से विस्तार करती है।

[फा.सं. आर-11011/02/2019-एसएस-II]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2019

S.O. 3962(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act to apply to the establishments, employing ten or more persons and covered under the provisions of the erstwhile the Jammu and Kashmir Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1961 (XV of 1961), as it stood before its repeal by the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 (34 of 2019), with effect from the 1st Day of January, 2020.

[F. No.R-11011/02/2019-SS-II]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

5674 GI/2019